

प्रेषक,

राघवेन्द्र विक्रम सिंह  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2012

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0एस0यू0पी0 योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान सं0-83 से केन्द्रांश+राज्यांश की तृतीय किस्त (25 प्रतिशत) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-59(4)/पी0एफ0-1/2011-1150, दिनांक. 19.12.2011 द्वारा जारी केन्द्रांश की तृतीय किस्त के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2891/76/एक/बीएसयूपी/2011-12, दिनांक 29 दिसम्बर, 2011, पत्र संख्या-2895/76/एक/बीएसयूपी/2011-12, दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 व पत्र संख्या-2898/76/एक/बीएसयूपी/2011-12, दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 के संदर्भ में- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-आगरा की निकाय-आगरा नगर की कमश: 950 आवासों के सापेक्ष 785 आवास, 1536 आवासों के सापेक्ष 1123 आवास एवं निकाय-देवरी रोड की 2420 आवासों के सापेक्ष 2099 आवासों की तीन चालू परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-83 से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित केन्द्रांश+राज्यांश की तृतीय किस्त (25 प्रतिशत) की धनराशि ₹ 25,05,29,000/- (₹ 0 पच्चीस करोड़ पांच लाख उन्तीस हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु केन्द्रांश+राज्यांश की प्रथम किस्त की धनराशि शासनादेश संख्या-649/26-ब0प्र0-2009-78(बजट)/09 दि 18 नवम्बर, 2009 एवं द्वितीय किस्त की धनराशि शासनादेश संख्या-928/26-ब0प्र0-10-78(बजट)/09, दि 20 दिसम्बर, 2010 द्वारा जारी की जा चुकी है।

(धनराशि लाख ₹ 0 में)

क्रमांक	जनपद/परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत (रुन्टेज चार्ज व लेबर सेस अतिरिक्त)।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु तृतीय किस्त (25%) की स्वीकृत धनराशि उ-वस्थापना सुविधाओं सहित। (केन्द्रांश+राज्यांश)।
1	2	3	4	5	6
1	आगरा/आगरा नगर	950	3977.63	785	721.23
2	आगरा/आगरा नगर	1536	7133.79	1123	1150.19
3	आगरा/देवरी रोड	2420	3477.70	2099	633.87
	<b>योग</b>				<b>2505.29</b>

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण एवं सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
- उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरांत किया जायेगा।

कमश:.....2/

5. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।
  6. उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
  7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इससे बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
  8. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेगें।
  9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  10. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस०एल०एन०ए० (सूडा), यह सुनिश्चित कर लें कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगुणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-जे०एन०एन०यू०आर०एम० के उपघटक, बेसिक सर्विसेज फार अर्बन्ने पुअर (के.50/रा.50-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-3520/दस-2011-231/2012, दिनांक 16.12.2011, शासनादेश संख्या-बी-1-547/दस-2012-231/2012, दिनांक 20.3.2012 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2012, दिनांक 09.07.2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(राघवेन्द्र विक्रम सिंह)  
विशेष सचिव।

**संख्या- 317 (1)/26-ब०प्र०-12-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1
5. वित्त (आय-व्ययक) अनु०-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
6. नियोजन अनु०-4
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,  
Rijvi  
(एन०एच० रिजवी)  
उप सचिव।